<u>नोट– निरीक्षक श्री रामकिंकर यादव आज दिनांक 14.08.2026 को उपस्थित है । उसे शपथ दिलाकर शेष परीक्षण प्रारंभ किया गया ।</u>

समय 12.45 बजे

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा श्री तन्मय बनर्जी, अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन –</u>

26/ दिनांक 07.12.2023 को एन एच 49 अकलतरा मेन रोड से आरोपी सूरज कुमार गुप्ता के द्वारा झूरमुट से निकाल कर पेश करने पर एक पिंक कलर का सब्जी काटने वाला स्टील का चाकू, लाल मूठ लगा पेचकस, एक लोहे की हथौड़ी, एक काला रंग का टी व्ही केबल वायर साक्षी जुबेद खान एवं राजकुमार निराला के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया था । जप्ती पत्रक **प्र०पी०–35** है जिसके स से स भाग पर मेरे एवं द से द भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है ।

27/ दिनांक 07.12.2023 को दरोगापारा रायगढ़ स्थित राधिका लॉज से महेश जैन के द्वारा पेश करने पर राधिका लॉज का डेली रजिस्टर जिसमें पेज क्रमांक 01 से पेज क्र.–93 तक है तथा पेज क्रमांक 11 में दिनांक 26.11.2023 एवं 27.11.2023 में सूरज गुप्ता के एन्ट्री एवं डिपाचर की एन्ट्री थी, उक्त रजिस्टर की मूल रजिस्टर सुपुर्दनामें में महेश जैन को प्रदान कर छायाप्रति तथा सूरज गुप्ता का दिया गया आधार कार्ड की छायाप्रति साक्षीगण के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया । जप्ती पत्रक **प्र०पी०–01** है जिसके इ से इ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है ।

28/ मेरे द्वारा दिनांक 04.01.2024 को थाना जूटमिल के अपराध क्रमांक 503/2023, अंतर्गत धारा 302, 201 भा०दं०वि० के प्रकरण में जप्तशुदा वस्तुओं का क्यूरी रिपोर्ट प्रदाय करने के संबंध में एक तहरीर डॉ. उलास गोनाडे प्रभारी

अधिकारी फोरेंसिक विभाग मेडिकल कॉलेज रायगढ़ को प्रेषित की गई थी । तहरीर **प्र०पी०–60** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

29/ दिनांक 10.01.2024 को आरक्षक समीर बेग के द्वारा मेडिकल कॉलेज रायगढ़ से लाकर पेश करने पर आरोपी के दो नग बाल के टुकड़ो को प्लास्टिक डिब्बे में डी एन ए परीक्षण हेतु प्रिजर्व किया गया प्रदर्श साक्षीगण के समक्ष जपत कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, जप्ती पत्रक **प्र०पी०–21** है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

30/ दिनांक 19.01.2024 को प्रकरण में मृतिका निधी यादव के पिता सुनील कुमार भोई का डी एन ए परीक्षण कराने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया । आवेदन **प्र०पी०–61** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । दिनांक 23.01.2024 को प्रकरण में सुनील भोई का डी एन ए परीक्षण हेतु ब्लड सैंपल कलेक्शन करने बाबत् एम बी बी एस डॉक्टर एवं लेब टेक्नीशियन उपलब्ध कराने के संबंध में सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय रायगढ़ को तहरीर प्रेषित की गई थी । तहरीर प्र०पी०–53 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

31/ दिनांक 23.01.2024 को प्रधान आरक्षक मोहम्मद दिलदार कुरैशी के द्वारा जिला चिकित्सालय रायगढ़ से लाकर पेश करने पर डी एन ए परीक्षण हेतु लिये गये ब्लड सैंपल को एक प्लास्टिक डिब्बा के अंदर एक सीलबंद ETDA ट्यूब में सीलबंद किया हुआ लाकर पेश करने पर साक्षीगण के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था जप्ती पत्रक प्र०पी०–22 है जिसके द से द भाग पर मेरा हस्ताक्षर है ।

32/ मेरे द्वारा दिनांक 27.01.2024 को प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्श का हिस्टो पैथोलॉजिकल परीक्षण के संबंध में विभागाध्यक्ष हिस्टो पैथोलॉजिकल विभाग मेडिकल कॉलेज रायगढ़ को तहरीर प्रेषित की गई थी । तहरीर **प्र०पी०–46** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की गई पावती **प्र०पी०–47** है ।

33/ दिनांक 01.02.2024 को प्रकरण में जप्तशुदा प्रदर्शों का डी एन ए परीक्षण करने बाबत् संचालक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर एक तहरीर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के माध्यम से प्रेषित की गई थी जो **प्र०पी०–62** है । एफएसएल जमा पावती **प्र०पी०–63** है ।

34/ दिनांक 02.02.2024 को प्रकरण में जप्तशुदा वस्तुओं के रासायनिक परीक्षण हेतु प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर को एक तहरीर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के माध्यम से प्रेषित की गई थी जो **प्र०पी०–64** है । एफ एस एल जमा पावती **प्र०पी०–65** है ।

35/ दिनांक 02.02.2024 को प्रकरण में जप्तशुदा वस्तुओं के रासायनिक परीक्षण हेतु प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर को एक तहरीर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रेषित की गई थी जो **प्र०पी०–66** है । एफ एस एल जमा पावती **प्र०पी०–67** है ।

36/ मेरे द्वारा दिनांक 04.02.2024 को प्रकरण में घटना स्थल का पटवारी नक्शा प्रदाय करने के संबंध में तहरीर कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील पुसौर को भेजी गई थी जो **प्र०पी०–50** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । उक्त

संबंध में पटवारी के द्वारा तैयार किया गया नजरी नक्शा **प्र०पी०–51** प्रकरण में संलग्न है ।

37/ दिनांक 26.03.2024 को प्रदर्श A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L एवं M की वस्तुओं के संबंध में क्षेत्रिय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर के द्वारा परीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है जो **प्र०पी०–68** है । परीक्षण परिणाम में प्रदर्श G, J, K, L एवं M में पेट्रोल के अंश उपस्थित है एवं प्रदर्श A, B, C, D, E, F, H एवं I में पेट्रोल अंश अनुपस्थित है उल्लेख है । दिनांक 27.03.2024 को क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर के द्वारा प्रेषित की गई कवरिंग लेटर **प्र०पी०–69** है । दिनांक 03.04.2024 को क्षेत्रिय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर के द्वारा प्रकरण में रासायनिक परीक्षण उपरांत कवरिंग लेटर सहित परीक्षण परिणाम प्रेषित किया गया है । कवरिंग लेटर **प्र०पी०–70** है तथा परीक्षण प्रतिवेदन परिणाम **प्र०पी०–71** है जिसमें प्रदर्श A, B, C, D, E, F में रासायनिक विष नहीं है उल्लेख है ।

38/ दिनांक 06.03.2024 को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की DNA यूनिट के द्वारा प्रकरण में रासायनिक परीक्षण उपरांत DNA प्रतिवेदन प्रेषित की गई थी जो 6 पन्नों में है, **प्रदर्श पी –72** है । DNA प्रतिवेदन प्र०पी०–72 में प्रदर्श A, प्रदर्श B का जैविक पिता है उल्लेख है । प्रदर्श B, प्रदर्श C की जैविक माता है उल्लेख है । प्रदर्श B से प्राप्त DNA प्रोफाईल प्रदर्श L एवं प्रदर्श O से प्राप्त मिश्रित DNA प्रोफाईल में शामिल पाये गये उल्लेख है ।

39/ दिनांक 22.02.2024 को प्रकरण में जप्तशुदा डी व्ही आर का परीक्षण कर अभिमत प्रदाय करने के बावत् सहायक पुलिस महानिरीक्षक सायबर फोरेंसिक

लेब रायपुर को पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के माध्यम से तहरीर प्रेषित की गई थी जो **प्र०पी०-73** है ।

40/ दिनांक 28.02.2024 को प्रकरण में जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा एस यू व्ही क्रमांक सी जी 04 पी बी 7132 के पंजीकृत वाहन स्वामी के जानकारी प्रदाय करने के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ को एक तहरीर प्रधान आरक्षक दिलदार कुरैशी के द्वारा प्रेषित की गई है जो **प्र०पी०-74** है जिसके अ से अ भाग पर दिलदार कुरैशी के हस्ताक्षर है जो मेरे सहकर्मी है इसलिए उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूं । संबंधित वाहन के वाहन स्वामी के संबंध में छायाप्रति प्रकरण में संलग्न है जिसमें वाहन मालिक का नाम विभा गुप्ता पति सूरज कुमार गुप्ता लिखा हुआ है ।

समय 2.00 बजे

नोट – चायकाल का समय होने के कारण साक्षी का परीक्षण स्थगित किया गया ।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया।

सही/-

(अश्वनी कुमार चतुर्वेदी)
षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश
रायगढ (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/-

(अश्वनी कुमार चतुर्वेदी)
षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश
रायगढ (छ.ग.)

सही/-

साक्षी का हस्ताक्षर